फार्म - अट्ठाईस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

करनिर्धारण व मांग हेतु नोटिस

[कार्यालय प्रति]

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-46(2) देखें]

पुस्तक संख्या----------

क्रमांक----------

(1) व्यापारी का नाम----------

(2) व्यापारी का पता----------

(3) विक्रय धन रूपए में----------

(4) निर्धारित कर रूपए में----------

(5) पूर्व में जमा कर की धनराशि रूपए में----------

(6) इनपुट टैक्स क्रेडिट के सापेक्ष समायोजित धनराशि रूपए में---------

(7) जमायोग्य शेष धनराशि रूपए में----------

तामीली की तिथि----------

फाईल की संख्या व वर्ष----------

स्थान----------

तिथि----------

(हस्ताक्षर)

करनिर्धारण अधिकारी

फार्म - अट्ठाईस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

करनिर्धारण व मांग हेतु नोटिस

[व्यापारी प्रति]

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-46(2) देखें]

पुस्तक संख्या----------

क्रमांक----------

सेवा में,

---

1. आपको यह सूचना दी जाती है कि उ0प्र0वैट अध्यादेश, 2007 के अधीन रू0 ---------- के विक्रय धन पर रू0 ---------- (शब्दों में) रू0---------- का कर 31 मार्च, 20------- को समाप्त होने वाले वर्ष ---------- के महीने / तिमाही रूप से करनिर्धारण / अस्थाई कर निर्धारित किया गया है।

2. इस कर में रू0---------- जिसे आप अदा कर चुके है, सम्मिलित है और शेष धनराशि भी आपको अब देनी है वह केवल रू0 ---------- (शब्दों में) रू---------- है।

3. आपको यह धनराशि इस सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा।

4. आपको यह कर उपर्युक्त संदर्भित अवधि के अन्दर और नियम में नियत रीति से भुगतान करना होगा, भुगतान न करने पर यह धनराशि उसी प्रकार वसूल की जाएगी मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो तथा आप पर अधिनियम के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

5. यदि इस मांग की नोटिस की शर्तो के अनुसार देय कर का भुगतान ऊपर निर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात एक माह तक न किया जाए, तो आपको ऐसा भुगतान न करने के परिणामस्वरूप नियमों के अंतर्गत निर्धारित ब्याज भी देना होगा, जो पैरा-3 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक को देय धनराशि पर लिया जाएगा और वह कर की धनराशि में सम्मिलित कर लिया जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए कर का भाग समझा जाएगा।

करनिर्धारण आज्ञा की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

स्थान-

तिथि-

(हस्ताक्षर)

करनिर्धारण अधिकारी

मुहर